न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2021 निगरानी ग्राम पंचायत

1. भगवान सहाय शर्मा पुत्र स्व. कल्याण सहाय जाति ब्राह्मण निवासी खालसा का बास बसवा तहसील बसवा जिला दौसा हाल निवासी दीक्षा एकेडमी स्कुल के पास पायलेट नगर दौसा जिला दौसा।

निगरानीकार

बनाम

1. आशिष कुमार पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खालसा का बास नृसिंह जी के मन्दिर के पास बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत बसवा जरिये ग्राम विकास अधिकारी(सचिव) ग्राम पंचायत बसवा पंचायत समिति बसवा जिला दौसा।
3. सरपंच ग्राम पंचायत बसवा पंचायत समिति बसवा जिला दौसा।
4. उप पंजीयक बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

गैरनिगरानीकारान

(आदेश दिनांक 12.10.2012 पट्टा संख्या 19 निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बसवा पट्टा संख्या 19 जारी किया गया है व दिनांक 15.12.2012 को उप पंजीयक बसवा जिला दौसा के यहां पंजीकृत करवाया गया है।)

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित।
: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 1 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांक: 16.07.2024

(प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत बसवा द्वारा विधि विरूद्ध आबादी भूमि का पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 को बिना वैधानिक कूाननी प्रक्रिया अपनाये पट्टा संख्या 19 दिनांक 12.10.2012 को पारित कर दिया। ग्राम पंचायत बसवा द्वारा जारी किये गये पट्टा संख्या 19 दिनांक 12.10.2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

निगरानी न्यायालय में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख ग्राम पंचायत बसवा से तलब किया गया। गैर निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बसवा जारी किया गया पट्टा रजिस्टर्ड पट्टा है और कानूनन रजिस्टर्ड पट्टे के विरूद्ध निगरानी नहीं चल सकती है। रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में ही मुकदमा किया जा सकता है ऐसा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2015(2) आर. आर. डी. पेज 967 पर मुकदमा श्रीमती मनोहरलाल बनाम जिला कलक्टर बाडमेर में तय किया है कि निगरानी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
दौसा

द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अपास्त नहीं किया जा सकता है। उक्त रजिस्टर्ड पट्टा (विक्रय पत्र) के खिलाफ लगभग 10 वर्ष पश्चात् उक्त निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चेलेन्ज करने की मियाद भी निकल चुकी है। निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में यह नही कहा कि उक्त रजिस्टर्ड पट्टे की जानकारी कब हुई और कैसे हुई इसलिये उक्त निगरानी मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता ने प्रस्तुत की गई निगरानी प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि उक्त पट्टे में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद चला है और जब सिविल न्यायालय में वाद चलकर निर्णय हो चुका है तो इस न्यायालय में निगरानी चलने योग्य नहीं है। निगरानी 11 वर्ष बाद पेश की गई है। पंचायत एक्ट में पट्टे के विरूद्ध अपील का प्रावधान है अपील नहीं की गई है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि न्यायालय को निगरानी प्रार्थना पत्र पर श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। एक बार प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है तो उसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर ही होता है। जहां तक रजिस्टर्ड पट्टे का प्रश्न है उक्त न्यायिक निर्णय अरबन एरिया पर ही लागू होता है। ग्राम पंचायत के पट्टे की सुनवाई न्यायालय के समक्ष ही होगी। निगरानी पेश करने की समय सीमा जानकारी से होती है। देरी का प्रश्न विधि अनुकूल नहीं है। अप्रार्थी द्वारा पंचायत से मिलीभगत कर गुपचुप तरीके से उक्त पट्टा जारी करवाया है। जिसकी जानकारी होने पर ही यथाशीघ्र निगरानी प्रस्तुत कर दी है। कानूनन अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का पुनरीक्षण करने की शक्तियां प्राप्त है। पुनरीक्षण न्यायालय को किसी भी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर आदेश या निर्णय की वैधता की जांच की जा सकती है। पट्टे के शीर्षक मात्र में अप्रार्थी आशीष का नाम अंकित है। मानचित्र में अप्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। पट्टे में दर्शायी गई भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी आशीष के पिता रमेशचन्द द्वारा प्रार्थी निगरानीकार के उक्त पट्टे में वर्णित भूमि में दखलन्दाजी करने पर प्रार्थी निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी आशीष के पिता रमेशचन्द के विरूद्ध एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा उक्त वाद के निर्णय को विफल करने के आशय से फर्जी कार्यवाही कर विवादित पट्टा प्राप्त किया गया है। उक्त वाद में प्रार्थी निगरानीकार के मकान के पास 7 फीट रास्ता एवं 1 फीट की गली प्रमाणित हुई है जबकि विवादित पट्टे में उक्त 7 फीट रास्ता व 1 फीट गली दर्शायी हुई नहीं है। इसलिये पट्टा संख्या 19 एवं प्रार्थना पत्र आपत्ति खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाकर पट्टा संख्या 19 ग्राम पंचायत बसवा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति न्यायालय में पेश की गई है। रजिस्टर्ड पट्टे के खिलाफ निगरानी न्यायालय अति. कलक्टर के यहां नहीं चल सकती है। कानूनन रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। जिसके पक्ष में अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा 2015(2) आर. आर. टी. पेज 967 मुकदमा मनोहरलाल बनाम जिला कलक्टर बाडमेर पेश की गई है। जिसके अनुसार "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 [illegible] वर्ष तक आवंटन को चुनौती नही देने के लिये स्पष्टीकरण नहीं–19.1.1999 [illegible] विक्रय की निगरानी क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत कलक्टर द्वारा रजिस्टर्ड [illegible] किया जा सकता। सिविल वाद उचित उपचार था–तथ्य के प्रश्न [illegible] अपील खारिज की"। रजिस्टर्ड पट्टे के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
कोटा

विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता ने अपील भी नहीं की है और अपील नहीं करने का कारण भी नहीं लिखा है। जिसके पक्ष में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. ने आर.आर.टी. 2018–19 सप्लीमेन्ट्री पेज 125 पर पन्नालाल बनाम श्रीमति सुशीला देवी में तय किया है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है। अतः प्रार्थी गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 1 आशीष कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी खालसा का बास नृसिंह जी के मन्दिर के पास बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाकर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित ग्राम पंचायत बसवा की मूल पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:57:34 IST
Reason: SelfAttested